धार्मकि ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब वधिानसभा ने सर्वसम्मतसि से सभी धार्मकि ग्रंथों का अपमान करने के खलिाफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने के लयि भारतीय दंड संहति और आपराधकि प्रक्रयि संहति में संशोधन हेतु वधियक पारति कर दयि है।

प्रमुख बदिु

- भारतीय दंड संहति (पंजाब संशोधन) वधियक, 2018 के तहत धारा 295 AA को समाहति कयि गया है।
- इसके अंतर्गत यद किसी व्यक्त द्वारा गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद्भगवद्गीता, पवत्रि कुरान, पवत्रि बाइबलि या अन्य कसी भी धार्मकि ग्रंथ को जानबूझ कर क्षत, नुकसान और आघात पहुँचाया जाता है जसिसे लोगों की धार्मकि भावना आहत होती है तो ऐसे व्यक्त को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडति कयि जाएगा।

नवािरक कार्रवाई

- पंजाब सरकार ने राज्य में हाल के दनिों में घटति कुछ घटनाओं जसिमें पवत्रि धार्मकि ग्रंथों को क्षत पहुँचाकर राज्य की शांत और सांप्रदायकि सद्भाव को बगािड़ने का प्रयास कयि गया, को देखकर यह कदम उठाया है।
- इस तरह पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में शांत व सहष्णुता को कायम करने के मार्ग में एक नवािरक कार्रवाई के रूप में है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/desecration-of-religious-texts-punishable